बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

परिवेश भवन,एन.एस–बी/2,पाटलीपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र,
पो0–सदाकत आश्रम, पटना–800010
E-mail: msbspcb-bih@gov.in, वेबसाईट–http://bspcb.bih.nic.in.

पत्रांकः   पटना, दिनांकः

प्रेषक,

नीरज नारायण, भा0व0से0
सदस्य–सचिव

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,
बेल्ट्रोन भवन, शास्त्री नगर,
पटना–800023.

विषयः मेसर्स जे.के. सीमेंट वर्क्स (जे.के.सीमेंट लिमिटेड की एक इकाई) द्वारा खेसरा संख्या–04,05,12 एवं अन्य, गाँव–मेंहमरारा और कांत, तहसील–डुमरांव, जिला–बक्सर में स्टैंडअलोन क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट 4.0 मिलियन टीपीए सीमेंट उत्पादन क्षमता के साथ डी.जी. सेट 1 मेगावाट हेतु परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सम्पन्न लोक सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के प्रसंग में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–S.O.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के आलोक में मेसर्स जे.के. सीमेंट वर्क्स (जे.के.सीमेंट लिमिटेड की एक इकाई) द्वारा खेसरा संख्या–04,05,12 एवं अन्य, गाँव–मेंहमरारा और कांत, तहसील–डुमरांव, जिला–बक्सर में स्टैंडअलोन क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट 4.0 मिलियन टीपीए सीमेंट उत्पादन क्षमता के साथ डी. जी. सेट 1 मेगावाट हेतु परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांक 04.10.2024, अपराह्न 03:00 बजे सम्पन्न लोक सुनवाई का वृत, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कारवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नकः यथोपरि।

विश्वासभाजन
ह0/–
(नीरज नारायण)
सदस्य–सचिव

ज्ञापांक :–   पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः यथोपरि।

ह0/–
(नीरज नारायण)
सदस्य–सचिव

ज्ञापांक :– 2469.

पटना, दिनांक :– 13.11.24

प्रतिलिपि:–Sri Bhaskar Singh Rawat, Head-Corporate Environment & Regulatory Affairs (Desk No. 3140), JK Cement Limited, Prism Tower, 3rd floor Ninaniya Estate, Gwal Pahari, Gurugram, 122102, Haryana ई–मेल:–bhaskar.rawat@jkcement.com को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक: यथोपरि।

ह॰/- 13-11-24

(नीरज नारायण)

सदस्य–सचिव

BSPCB-PC37 "C:\Users\hp\Desktop\Hindi Letter.docx"

लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स जे.के. सीमेंट वर्क्स (जे.के.सीमेंट लिमिटेड की एक इकाई) द्वारा खेसरा संख्या–04,05,12 एवं अन्य, गाँव–मेंहमरारा और कांत, तहसील–डुमरांव, जिला–बक्सर में स्टैंडअलोन क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट 4.0 मिलियन टीपीए सीमेंट उत्पादन क्षमता के साथ डी.जी. सेट 1 मेगावाट हेतु परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 04.10.2024 को अपराह्न 03:00 बजे प्रखंड कार्यालय, डुमरांव, जिला–बक्सर में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.–SIA/3(b)/2583/2024 के आलोक में डॉ0 महेन्द्र पाल, उप विकास आयुक्त, बक्सर (जिला पदाधिकारी, बक्सर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 04.10.2024 को अपराह्न 03:00 बजे प्रखंड कार्यालय, डुमरांव, जिला–बक्सर में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

उक्त लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक भास्कर एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 31.08.2024 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। दिनांक 03.10.2024 एवं 04.10.2024 को माईकिंग द्वारा भी स्थानीय जनता को लोक–सुनवाई की सूचना प्रदान की गयी। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाईयों के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

लोक–सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के तकनीकी सलाहकार श्री रमेश कुमार यादव ने इकाई का उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं Corporate पर्यावरणीय रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में आम–जनों को पावर प्वाईंट प्रस्तुति के माध्यम से विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि यह प्रस्तावित नई इकाई है, जिसकी सीमेंट क्लिंकर ग्राइंडिंग प्रस्तावित क्षमता 4.0 मिलियन टन प्रति वर्ष है। इकाई में 1250 केवीए क्षमता का डी.जी. सेट की स्थापना प्रस्तावित है। इकाई के पास प्रस्तावित प्लांट के लिए कुल परियोजना क्षेत्र 25.4963 हेक्टेयर है। कुल परियोजना क्षेत्र के अतिरिक्त 6.325 हेक्टेयर भूमि कम्पनी के अधिग्रहण की प्रक्रिया में है, जिसका उपयोग भविष्य में उचित उद्देश्यों के लिए किया जायेगा। कुल परियोजना क्षेत्र 25.4963 हेक्टेयर में से, 8.4138 (कुल परियोजना क्षेत्र का 33 प्रतिशत) ग्रीनबेल्ट और वृक्षारोपण के तहत् विकसित किया जाएगा। परियोजना स्थल के 10 कि0मी0 के अन्दर कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारणय, बायोस्फीयर रिजर्व, आरक्षित वन एवं संरक्षित वन नहीं है। प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत रू0 558 करोड़ है। प्रस्तावित परियोजना में कुल 490 कि0ली0/दिन भू–जल का उपयोग किया जायेगा। संचालन के

दौरान लगभग 250 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। प्रस्तावित परियोजना में कच्चा माल क्लिंकर (2.16 मिलियन टीपीए), जिप्सम (018 मिलियन टीपीए), फ्लाई ऐश/पोंड ऐश (1.26 मिलियन टीपीए), स्लैग (0.5 मिलियन टीपीए), केल्साइण्ड क्ले (0.5 मिलियन टीपीए), लाइमस्टोन (0.05 मिलियन टीपीए) का उपयोग किया जायेगा। ईंधन के रूप में कोयला (216 टीपीडी), डीजल (13.2 केएलडी) का उपयोग प्रस्तावित है।

पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य निम्न है:–

(क) वायु गुणवत्ता प्रबंधन।

- निर्माण स्थल और कच्ची सड़कों पर पानी का छिड़काव।
- सभी मूवमेंट एरिया को कंक्रीट किया जाएगा।
- पर्याप्त वनस्पति का विकास।
- निकास उत्सर्जन को प्रतिबंधित करने के लिए गतिविधि के दौरान वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले निर्माण उपकरण तैनात किए जायेंगे।
- ढके हुए शेडों में रेत, मिट्टी, पत्थर, चिप्स जैसी निर्माण सामग्री का परिवहन।
- वाहनों का उचित रख–रखाव।
- निर्माण स्थल को ढंकना।
- कुल 35 बैग फिल्टर सभी सामग्री प्रबंधन और स्थानांतरण बिंदुओं पर स्थापित किए जायेंगे।
- साइलो में क्लिंकर, फ्लाई ऐश और सीमेंट का भंडारण किया जाएगा।
- जिप्सन एवं स्लैग का भंडारण ढके हुए शेडों में किया जाएगा।
- सभी कच्चे माल को संयंत्र परिसर के भीतर ढके हुए कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से ले जाया जाएगा।
- साड़को और भंडारण सुविधाओं के आस–पास के क्षेत्र की नियमित सफाई वैक्यूम स्वीपिंग मशीन द्वारा की जाएगी।
- स्टैक उत्सर्जन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (सीईएमएस) स्थापित किया जाएगा।
- उत्सर्जन को मानक सीमा के भीतर रखने के लिए सीमेंट मिल में बैग हाउस और विभिन्न स्थानांतरण बिंदुओं पर बैग फिल्टर जैसे कुशल वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित किए जायेंगे।

(ख) ध्वनि प्रदूषण प्रबंधन।

- शोर के स्तर को निर्धारित मानदंडों के भीतर रखने के लिए उपकरणों को अच्छी स्थिति में रखा जाएगा।
- श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण जैसे ईयर प्लग, ईयरमफ्स आदि प्रदान किए जायेंगे।
- शोर के उत्पादन को कम करने के लिए नियमित अंतराल पर मशीनों को उचित रखरखाव, ऑयलिंग और ग्रीसिंग की जाएगी।

- डी.जी. सैट के अत्यधिक शोर को नियंत्रित करने के लिए एन्क्लोजर में इंसुलेटेड किया जाएगा।
- परियोजना की सीमा के चारों ओर ग्रीनबेल्ट विकसित किया जाएगा।
- शोर स्तर की नियमित निगरानी की जाएगी और संबंधित मशीनरी में सुधारात्मक उपाय अपनाए जायेंगे।

(ग) जल प्रदूषण प्रबंधन।

- निर्माण गतिविधि के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जल का कोई निर्वहन नहीं किया जाएगा।
- निर्माण गतिविधि शुरू करने के तुरंत बाद बरसाती पानी की नालियाँ बनाई जाएंगी।
- नालियों को साइट जल निकासी पैटर्न के अनुरूप उचित रूप से संरेखित किया जाएगा ताकि परिवर्तन न्यूनतम रखा जा सके और बाढ़ या मिट्टी का कटाव न हो।
- अपवाह को एकत्रित करने के लिए बरसाती पानी की नालियों को जलाशय की ओर मोड़ दिया जाएगा। इस संग्रहित जल का उपयोग सिविल निर्माण कार्यों एवं ग्रीन बेल्ट विकसित करने में किया जाएगा।
- प्लांट (11 केएलडी) से घरेलू अपशिष्ट जल को एसटीपी (15 केएलडी क्षमता) में उपचारित किया जाएगा और उपचारित पानी (10 केएलडी) का उपयोग ग्रीनब्रेल्ट विकास/वृक्षारोपण में किया जाएगा।
- कूलिंग ब्लो डाउन पानी (95 केएलडी) को मिल स्प्रे में पुनः प्रसारित किया जाएगा।
- वर्षा जल संचयन के लिए ग्राइंडिंग यूनिट परिसर के अंदर वर्षा जल संचयन का अभ्यास किया जाएगा।
- पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी।

(घ) ठोस एवं खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन।

- एसटीपी से उत्पन्न स्लज (1.2 किग्रा/दिन) का उपयोग ग्रीनबेल्ट विकास/वृक्षारोपण में खाद के रूप में किया जाएगा।
- यूज्ड एवं स्पेंट ऑइल (कैट 5.1) (8.0 केएलए), तेल युक्त अपशिष्ट अवशेष (5.2) (2.0केएलए), उत्पन्न होने का अनुमान है जिसे सीपीसीबी अधिकृत रिसाइक्लर को बेचा जाएगा।
- नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) 27.39 टीपीए उत्पन्न होने का अनुमान है, कचरे का निपटान नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू), नियम 2016 के अनुसार किया जाएगा।
- प्रयुक्त लीड एसिड बैटरियां (60 नगध्वर्ष) बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2020 के अनुसार अधिकृत पुनर्चक्रणकत्ताओं को भेजी जाएंगी या अधिकृत विक्रेताओं को बायबैक योजना में बेची जाएंगी।

- ई–कचरा (01 टीपीए) ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के अनुसार पंजीकृत विक्रेताओं को बेचा जाएगा।

(ड.) ग्रीन बेल्ट विकास/वृक्षारोपण प्रबंधन।

- 25.4963 हेक्टेयर के कुल संयंत्र क्षेत्र में से 8.4138 हेक्टेयर (कुल परियोजना क्षेत्र 33:) हरित पट्टी/वृक्षारोपण के तहत् विकसित किया जाएगा।
- शोर और प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित देशी पौधों की प्रजातियों को लगाने का प्रस्ताव दिया गया है: मैंगीफेरा इंडिका (आम), अजाडिरेक्टा इंडिका (नीम), डालबर्गिया सिस्सो (शीशम), टर्मिनलिया अर्जुन (अर्जुन), सिजीगियम क्यूमिनी (जामुन), पोंगामिया पिनाटा (करंज), रॉयस्टोनिया रेजिया (रॉयल पाम), एल्बिजिया लेबेक (सिरिस), डेलोनिक्स रेजिया (गुलमहर), टेक्टोना ग्रैंडिस (सागवान), फिकस रिलिजियोसा (पीपल), साराकासोका (अशोक), ब्यूटिया मोनोस्पर्मा (पलाश) आदि और हरित पट्टी विकास के तहत् घनत्व बढ़ाने और प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए समान प्रजातियों लगायी जाएँगी।
- प्रस्तावित ग्रीनबेल्ट विकास और वृक्षारोपण क्षेत्र आगामी 2 वर्षों में 21,035 पेड़ों की संख्या के साथ विकसित किया जाएगा, जिसमें वृक्षारोपण का घनत्व 2500 पेड़ प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित किया जायेगा।

कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व के अंतर्गत क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक , जल, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ऊर्जा संरक्षण, प्रदूषण मुक्त वातावरण, स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य किया जायेगा। जागरूकता सिविर आयोजित कर लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता की जायेगी।

परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिये गये सुझाव/मंतव्य इस प्रकार है:–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री गुलाबचंद गुप्ता, (मुखिया), ग्राम–रहनुआँ, जिला–बक्सर।	इनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना हमारे क्षेत्र में आ रही है। यह खुशी की बात है। इस परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, जिले का विकास होगा। इसके लिए जे0के0 सीमेंट को धन्यवाद करता हूँ।
2.	श्री गौरव सिंह, ग्राम–रघुनाथपुर, जिला–बक्सर।	इनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना के कारण क्षेत्र में रोजगार आयेगा। प्रदूषण नियंत्रण हेतु कम्पनी द्वारा दिया गया सुझाव सही है।
3.	श्री अल्लाफ, ग्राम–रघुनाथपुर, जिला–बक्सर।	इनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना से हमारे गाँव का विकास होगा।

4.	श्री कंचन कुमार सिंह, ग्राम–रघुनाथपुर पंचायत, जिला–बक्सर।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि इस परियोजना के तहत् रोड के किनारे एवं खाली जमीन में वृक्षारोपण किया जाय। साथ–ही–साथ इकाई परिसर के अंदर 33% क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाय। इनके द्वारा इस क्षेत्र में एक अस्पताल बनाने की माँग की गयी।

आम जनता द्वारा इस परियोजना के पक्ष में सहमति दी गयी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि आम जनता की बातों का ध्यान रखा जाएगा। ऐसा प्रयास होना चाहिए कि प्रदूषण न्यूनतम हो एवं स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के बताये गये उपायों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इकाई चालू होने से पहले कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व के अंतर्गत शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यवस्था होनी चाहिए।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

23-10-24

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद, पटना

23/10/24

उप विकास आयुक्त,
बक्सर

उपस्थिति सूचि

मेसर्स जे.के. सीमेंट वर्क्स (जे.के.सीमेंट लिमिटेड की एक इकाई), कमला टावर, कानपुर, उत्तर प्रदेश. 208001 द्वारा खेसरा संख्या–04,05,12 एवं अन्य, गाँव–मेंहमरारा और कांत, तहसील–डुमरांव, जिला–बक्सर से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

स्थान– प्रखंड कार्यालय, डुमरांव, जिला–बक्सर दिनांक 04.10.2024 समय–03:00 P.M.

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Dr. Mahanandlal	BSC, Buxar	[signature]
2.	आशीष कुमार गुप्ता	क्षे० पदा० बि०रा०प्र०नि०प० पर्षद, पटना	[signature] 4-10-24
3.	संदीप कुमार पाण्डेय	प्र०वि०पदा०, डुमराँव	[signature] 4.10.24
4.	Manisha kumari	GM-DIC	[signature] 04/10/24
5.	VIDYA BHUSHAN PATHAK	Project manager, DIC, Buxar	[signature] 04/10/2024
6.	विनोद कुमार सिंह	Store, DIC	[signature]
7.	[illegible]	[illegible]	[signature]
8.	Ramesh K Yadav	EIA coordinator JM EnviroNet	[signature]
9.	Bhupendra Singh	JK Cement Ltd.	[signature]
10	Vikash Kr	BSPCB, Patna	Vikash Kr
11	लाल प्रसाद	जगदीशपुर बिहार	Lal Prasad 8210715756
12	[illegible]	[illegible]	[signature] 8084472801
13	Himanshu Rai	Ara, Bhojpur	9532734890
14	Sanjay Ray	Ara, Bhojpur	8910126679
15	Brahmdeo mishra	Kaithi	9939399027

37

16	Vinit kr-dubey	Repater, Raghunathpur	95726[illegible]
17	Kanchan Kumar Singh	vill+Post - Raghunathpur	7992420859
18	अरविन्द कुमार	रघुनाथपुर	73525775[illegible]
19	Binod kumar	Raghunathpur	8102841937
20	मो० असलाम	रघुनाथपुर	9162257916
21	टैना कुमार	रघुनाथपुर	
22	बलिराम शर्मा	सोवाँ	
23	Ajay Kumar Singh	DUMRAON	Ajay Kumar Singh
24	vikash kumar	Kusumha	7369898967
25	Deepak kumar	ARA	7250739065
26	Anil Kumar	KANT	Anil kumar
27	Amitjha.	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]		
29	Dinesh kumar	Chakki	Dinesh kr
30	Arjun Kumar	DUMRAON	Arjun Kumar
31	Niranjan Kumar	ArA	Niranjan kumar
32	कन्हैयाराम		
33	RAMESH KUMAR	DUMRAON	Ramesh Kumar
34	DEEPAK KUMAR YADAV	HATA	Deepak Kumar Yadav
35	Jitesh kumar yadav	HATA	Jitesh kumar yadav
36	Chandan Kumar	Ara.	Chandan Kumar

37	Gaurav Singh	Maulabag Area	Gaurav
38	रविन्द्र कुमार सिंह	कटरा शीतला आरा	[illegible]
39	[illegible] प्रसाद	शिव कुमार [illegible] आरा	[illegible]
40	सुशील कुमार सिंह	श्रीरामपुर	सुशील कुमार
41	संजीव कुमार ओझा	देवकुली	[illegible]
42	जितेन्द्र सिंह	[illegible]	[illegible]
43	Deepak Kumar Singh	Village+Po Kant ps Barahara Dist-Buxar	Deepak Kumar Singh
44	Bhaskar Rawat	J.K. Cement Ltd	[illegible]
45	Rajesh Dwivedi	J.K-Cement Ltd	[illegible]
46	Mahendra Joshi	JK Cement Ltd	
47	Gajendra Singh	JK.cement	[illegible]
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना–800 010
दूरभाष नं0–0612-2261250/2262265, फैक्स–0612-2261050
ई–मेल–msbspcb-bih@gov.in, वेबसाईट–http://bspcb.bihar.gov.in

लोक–सुनवाई की सूचना

मेसर्स जे.के. सीमेंट वर्क्स (जे.के.सीमेंट लिमिटेड की एक इकाई), कमला टावर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, 208001 द्वारा खेसरा संख्या–04,05,12 एवं अन्य, गाँव–मैहरारा और कांव, तहसील–डुमरांव, जिला–बक्सर में स्टैंडअलोन क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट 4.0 मिलियन टीपीए सीमेंट उत्पादन क्षमता के साथ डी.जी. सेट 1 मेगावाट हेतु परियोजना से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533, दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित, के आलोक में परियोजना को TOR (Terms of Reference) निर्गत किया गया है तथा लोक–सुनवाई की जानी है।

परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है जिसमें सम्भावित कुप्रभावों को निरस्त करने के उपाय प्रस्तावित हैं। उक्त प्रतिवेदन तथा परियोजना के कार्यपालक सार की प्रति पर्षद मुख्यालय, पटना, जिला पदाधिकारी, जिला– बक्सर, कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जिला–बक्सर एवं जिला उद्योग केन्द्र, जिला–बक्सर के कार्यालय में प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। परियोजना की विवरणी का अवलोकन पर्षद के वेबसाईट–http://bspcb.bihar.gov.in पर भी किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हों, अपना लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य इस सूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अन्दर पर्षद कार्यालय में जमा कर सकते हैं। साथ ही पर्षद के ई.मेल–msbspcb-bih@gov.in अथवा डाक के माध्यम से भी लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य भेजी जा सकती है।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों के लिए लोक–सुनवाई निम्नानुसार आहूत किया गया है:–

दिनांक	समय	लोक–सुनवाई का स्थल
04.10.2024	पूर्वाह्न 03:00 बजे	प्रखंड कार्यालय, डुमरांव, जिला–बक्सर।

सभी आम लोगों/संबंधितों से अनुरोध है कि उपरोक्त लोक–सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा निर्गत कोविड–19 गाईड लाईन का पालन करते हुए परियोजना के संबंध में अपने मंतव्य/सुझाव/विचार से अवगत करायेंगे।

उक्त सूचना state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

सदस्य–सचिव

PR- 007251 (B & C) 2024-25

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार

हिन्दुस्तान
पटना, शनिवार, 31 अगस्त 2024

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना–800 010
दूरभाष नं0–0612-2261250/2262265, फैक्स–0612-2261050
ई–मेल–msbspcb-bih@gov.in, वेबसाईट–http://bspcb.bihar.gov.in
लोक–सुनवाई की सूचना
मेसर्स जे.के. सीमेंट वर्क्स (जे.के.सीमेंट लिमिटेड की एक इकाई), कमला टावर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, 208001 द्वारा खेसरा संख्या–04,05,12 एवं अन्य, गाँव–मैहरारा और कांव, तहसील–डुमरांव, जिला–बक्सर में स्टैंडअलोन क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट 4.0 मिलियन टीपीए सीमेंट उत्पादन क्षमता के साथ डी.जी. सेट 1 मेगावाट हेतु परियोजना से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533, दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित, के आलोक में परियोजना को TOR (Terms of Reference) निर्गत किया गया है तथा लोक–सुनवाई की जानी है।
परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है जिसमें सम्भावित कुप्रभावों को निरस्त करने के उपाय प्रस्तावित हैं। उक्त प्रतिवेदन तथा परियोजना के कार्यपालक सार की प्रति पर्षद मुख्यालय, पटना, जिला पदाधिकारी, जिला– बक्सर, कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जिला–बक्सर एवं जिला उद्योग केन्द्र, जिला–बक्सर के कार्यालय में प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। परियोजना की विवरणी का अवलोकन पर्षद के वेबसाईट–http://bspcb.bihar.gov.in पर भी किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हों, अपना लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य इस सूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अन्दर पर्षद कार्यालय में जमा कर सकते हैं। साथ ही पर्षद के ई.मेल–msbspcb-bih@gov.in अथवा डाक के माध्यम से भी लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य भेजी जा सकती है।
परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों के लिए लोक–सुनवाई निम्नानुसार आहूत किया गया है:–
दिनांक	समय	लोक–सुनवाई का स्थल
04.10.2024	पूर्वाह्न 03:00 बजे	प्रखंड कार्यालय, डुमरांव, जिला–बक्सर।
सभी आम लोगों/संबंधितों से अनुरोध है कि उपरोक्त लोक–सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा निर्गत कोविड–19 गाईड लाईन का पालन करते हुए परियोजना के संबंध में अपने मंतव्य/सुझाव/विचार से अवगत करायेंगे।
उक्त सूचना state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।
सदस्य–सचिव
PR- 007251 (B & C) 2024-25
नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार

Scanned with OKEN Scanner

NOTARY
RAHUL BHARDWAJ
JAIPUR (RAJ.)
Regd. No. 14196
Comm Expired on
08 MAY-2029
GOVT. OF INDIA

e-Challan

Registration and Stamps department
Government of Rajasthan

GRN: **0096781515** Payment Date: **12/11/2024 14:14:13**

Office Name: **SUB REGISTRAR-IV REGISTRATION & STAMPS, JAIPUR**
Location: JAIPUR (SECTT.)
Period: 12/11/2024-To-30/11/2024

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-02-00-स्टाम्प शुल्क पर अधिभार	10.00
2	0030-02-800-03-00-स्टाम्प शुल्क पर गो संवर्धन/ संरक्षण हेतु अधिभार	10.00
3	0030-02-800-04-00-प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से राहत हेतु अधिभार	10.00
4	0030-02-103-01-00-दस्तावेजो के मुद्रांकन/कमी मुद्रांक हेतु प्राप्त आय	100.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	**130.00**

One Hundred Thirty Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: **J.M.ENVIRONET PVT LTD**	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode): JAIPUR(302018)
Address:403, 4th Floor, Jaipur Centre, B2 Bypass, Tonk Road, Jaipur, Rajasthan	Remarks:Name of the Project Ms JK Cement Works, Buxar A Unit of JK Cement Limited Purpose Notarization of English Translation of PH Proceedings

Payment Details:

		Challan No. -	0
Bank:	SBIePAY(Credit/Debit Cards)	Bank CIN No:	**SBIN9678151512112024**
Date:	12/11/2024 14:14:13	Refrence No:	**2360035974838**

Computer generated copy on : *12/11/2024* *Courtsy :* *https://Egras.rajasthan.gov.in*

Identified by

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
JAIPUR (RAJ.) INDIA

13 NOV 2024

Minutes of Public Hearing

Public Hearing was conducted for the Project Standalone Clinker Grinding Unit with Cement Production Capacity of 4.0 Million TPA at Khesra No.-04,05,12 & Others, Village Hamrara & Kant, Tehsil-Dumraon, District Buxar by M/s. JK Cement Works, Buxar (A Unit of JK Cement Limited) for grant of Environmental Clearance under Notification under the notification No. SO 1533, dated 14th September, 2006 of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, on 04.10.2024 at 03:00 PM in the Block Office, Dumraon, District-Buxar.

In accordance with the Environment Impact Assessment Notification, 2006 and its amendments, and in the light of TOR File No. SIA/3(b)/2583/2024 issued by the State Level Impact Assessment Authority, Bihar, public hearing was organized by the Bihar State Pollution Control Board under the chairmanship of Dr. Mahendra Pal, Deputy Development Commissioner, Buxar (Representative of the District Magistrate, Buxar) on 4th October 2024 at 3:00 PM at the Block Office, Dumraon, District Buxar. The attendance register is enclosed (Annexure-1).

Notice of the above public hearing was published by the Board in daily newspapers such as *Dainik Bhaskar* and *Hindustan* on 31st August 2024 (copy enclosed). Additionally, on 3rd and 4th October 2024, the local public was informed about the public hearing through loudspeakers. During the public hearing, Shri Ashish Kumar Gupta, Regional Officer, Bihar State Pollution Control Board, Patna, welcomed the attendees and all concerned officials. He also provided an overview of the background of the public hearing for environmental clearance of units under the Environment Impact Assessment Notification, 2006, notified by the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change, Government of India.

With the permission of the Chairperson of the public hearing program, the technical Consultant of the project, Shri Ramesh Kumar Yadav, provided a detailed presentation to the public via PowerPoint on the unit's production process, pollution control measures, and Corporate Environmental Responsibility (CER). He informed that this is a proposed new unit, with a planned cement clinker grinding capacity of 4.0 million tons per year. The unit will have a proposed DG set with a capacity of 1250 kVA. The total project area for the proposed plant is 25.4963 hectares. In addition to the total project area, 6.325 hectares of land is in the process of being acquired by the company, which will be used for appropriate purposes in the future. Of the total project area of 25.4963 hectares, 8.4138 hectares (33 percent of the total project area) will be developed under greenbelt and plantation. Within a 10 km radius of the project site, there are no national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, reserved forests, or protected forests. The estimated cost of the proposed project is ₹558 crores. The project will utilize a total of 490 KL/day of groundwater. Approximately 250 people will be directly employed during the operation. The proposed project will use raw materials such as clinker (2.16 million TPA), gypsum (0.18 million TPA), fly ash/pond ash (1.26 million TPA), slag (0.5 million TPA), limestone (0.05 million TPA), and calcinated clay (0.5 million TPA). Coal (216 TPD) and diesel (13.2 KLD) are proposed as fuels.

NOTARY GOVT. OF INDIA RAHUL BHARDWAJ JAIPUR (RAJ.) Regd. No. 14196 Comm Expired on 08 MAY 2029

Identified by

ATTESTED
NOTARY PUBLIC JAIPUR (RAJ.) INDIA

13 NOV 2024

The proposed activities under the Environmental Management Plan are as follows:

(a) **Air Quality Management:**

- Water spraying will be carried out on the construction site and raw roads.
- All movement areas will be concreted.
- Sufficient vegetation will be developed.
- To restrict exhaust emissions, construction equipment with valid PUC certificates will be deployed during the activities.
- Transport of construction materials like sand, soil, stones, and chips will be done under covered sheds.
- Proper maintenance of vehicles will be ensured.
- The construction site will be covered.
- A total of 35 bag filters will be installed at all material management and transfer points.
- Clinker, fly ash, and cement will be stored in silos.
- Gypsum and slag will be stored in covered sheds.
- All raw materials will be transported through covered conveyors within the plant premises.
- Regular cleaning of areas around roads and storage facilities will be carried out using a vacuum sweeping machine.
- A Continuous Emission Monitoring System (CEMS) will be installed to assess stack emission quality.
- To keep emissions within the standard limits, efficient air pollution control equipment such as bag houses and bag filters will be installed at the cement mill and various transfer points.

(b) **Noise Pollution Management:**

- Equipment will be maintained in good condition to keep noise levels within the prescribed limits.
- Workers will be provided with necessary protective equipment such as earplugs, earmuffs, etc.
- To reduce noise generation, machines will be regularly maintained, oiled, and greased at intervals.
- The DG set will be enclosed with insulation to control excessive noise.
- A greenbelt will be developed around the boundary of the project site.
- Regular monitoring of noise levels will be conducted, and corrective measures will be implemented for the machinery concerned.

(c) **Water Pollution Management:**

- No discharge of wastewater will take place during construction activities.
- Stormwater drains will be constructed immediately after the commencement of construction activities.
- The drains will be properly aligned according to the site's drainage pattern to minimize changes and avoid flooding or soil erosion.
- Stormwater drains will be directed towards a reservoir to collect runoff. The collected water will be used for civil construction work and for developing the greenbelt.

NOTARY RAHUL BHARDWAJ JAIPUR (RAJ.) Regd. No 14196 Comm Expired on 08 MAY-2029 GOVT. OF INDIA

Identified by

ATTESTED NOTARY PUBLIC JAIPUR (RAJ.) INDIA

13 NOV 2024

- Domestic wastewater (11 KLD) from the plant will be treated in an STP (15 KLD capacity), and the treated water (10 KLD) will be used for greenbelt development/plantation.
- Cooling blowdown water (95 KLD) will be recirculated in the mill spray system.
- Rainwater harvesting will be practiced within the grinding unit premises.
- Regular monitoring of water quality will be conducted.

d) Solid and Hazardous Waste Management:

- The sludge generated from the STP (1.2 kg/day) will be used as compost for greenbelt development/plantation.
- Used and spent oil (Cat 5.1) (8.0 KLA), oil-contaminated waste residues (5.2) (2.0 KLA) are expected to be generated, which will be sold to CPCB-authorized recyclers.
- Municipal solid waste (MSW) is expected to be generated at 27.39 TPA, and the waste disposal will be carried out in accordance with the Municipal Solid Waste (MSW) Rules, 2016.
- Used lead-acid batteries (50 nos./year) will be sent to authorized recyclers or sold to authorized vendors under the buyback scheme, in accordance with the Battery Waste Management Rules, 2020.
- E-waste (01 TPA) will be sold to registered vendors in accordance with the E-Waste Management Rules, 2022.

(e) Greenbelt Development / Plantation Management:

- Out of the total plant area of 25.4963 hectares, 8.4138 hectares (33% of the total project area) will be developed under greenbelt/plantation.
- To prevent noise and pollution, the following indigenous plant species are proposed to be planted: *Mangifera indica* (Mango), *Azadirachta indica* (Neem), *Dalbergia sissoo* (Shisham), *Terminalia arjuna* (Arjun), *Syzygium cumini* (Jamun), *Pongamia pinnata* (Karanj), *Roystonea regia* (Royal Palm), *Albizia lebbeck* (Siris), *Delonix regia* (Gulmohar), *Tectona grandis* (Teak), *Ficus religiosa* (Peepal), *Saraca asoca* (Ashoka), *Butea monosperma* (Palash), etc. Similar species will be planted to increase the density under the greenbelt development and proposed plantation.
- The proposed greenbelt and plantation area will be developed over the next 2 years with a target of 21,035 trees, ensuring a planting density of 2,500 trees per hectare.

Under Corporate Environmental Responsibility, efforts will be made in the areas of social-economic development, water, health, sanitation, energy conservation, pollution-free environment, and clean technology. Awareness camps will be organized to raise environmental consciousness among the local community.

After the project presentation, the suggestions/remarks provided by the distinguished attendees are as follows:

NOTARY GOVT. OF INDIA RAHUL BHARDWAJ JAIPUR (RAJ.) Regd. No 14196 Comm Expired on 08 MAY-2029

Identified by

ATTESTED NOTARY PUBLIC JAIPUR (RAJ.) INDIA

13 NOV 2024

S. No.	Name and Address	Response/Suggestion
1.	Shri Gulabchand Gupta, (Mukhiya), Village-Rahnuan, District-Buxar.	He mentioned that the proposed project is coming to our region, which is a matter of great happiness. This project will provide employment to the local people and contribute to the development of the district. He thanked J.K. Cement for this initiative.
2.	Shri Gaurav Singh, Village-Raghunathpur, District-Buxar.	He stated that the proposed project will generate employment in the region. The suggestions provided by the company for pollution control are appropriate.
3.	Shri Allaf, Village-Raghunathpur, District-Buxar.	He expressed that the proposed project will contribute to the development of our village.
4.	Shri Kanchan Kumar Singh, Panchayat, Village-Raghunathpur, District-Buxar.	He suggested that under this project, tree plantation should be carried out along the roadsides and on vacant land. Additionally, he recommended that 33% of the area within the plant premises should be dedicated to tree plantation. He also requested for the establishment of a hospital in the area.

The general public expressed their agreement in favor of the project.

The Chairperson mentioned that the concerns of the general public would be taken into account. Efforts should be made to ensure minimal pollution and provide employment to the local people. Compliance with the suggested pollution control and environmental protection measures should be ensured. Before the unit becomes operational, provisions should be made under Corporate Environmental Responsibility (CER) in the fields of education and health.

At the end of the public hearing, the suggestions of the attendees were collected, and it was decided to forward them to the competent authority. The public hearing was then concluded with a vote of thanks

Identified by

Regional Officer
Pollution Control Board, Patna

Deputy Development Commissioner
Buxar

NOTARY GOVT. OF INDIA
RAHUL BHARDWAJ
JAIPUR (RAJ.)
Regd. No. 14196
Comm. Expired on
06-MAY-2029

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
JAIPUR (RAJ.) INDIA

13 NOV 2024